न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 79 / 2017

प्रार्थी:–

सोहनलाल पुत्र चौथाराम जाति सरगरा निवासी चण्डावल तहसील सोजत

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. आयु पुत्र नन्दाजी जाति सरगरा निवासी चण्डावल तहसील सोजत के का0मु0
   1.1 मिसरी पुत्री आसुजी जाति सरगरा निवासी चण्डावल तहसील सोजत
2. ग्राम पंचायत चण्डावल नगर जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक:– 14/9/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 01 / 1971–1972 संकल्प संख्या 5 (3) दिनांक 08.08.1971 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 11.08.1971 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पट्टा जारी कराने का निवेदन किया, जिस पर पंचायत द्वारा बिना कोई शुल्क प्राप्त किये, जैर निगरानी मिसल दर्ज की, जिसमें न तो नक्शा मौका बनाया गया तथा न ही वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया। जिन वार्ड पंचों के मौका निरीक्षण प्रपत्र पर हस्ताक्षर है, उन्हे मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत ही नहीं किया गया। वार्ड पंचों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किसी भी बिन्दु पर गौर नहीं किया गया। मात्र कागज़ी खानापूर्ति करते हुए अपनी रिपोर्ट बिना किसी आदेश के ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किऐ बिना कार्यवाही की गई। ग्राम पंचायत द्वारा भूमि को विक्रय करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का अस्थाई निर्णय नहीं लिया गया, जबकि पट्टा जारी करने हेतु अस्थाई निर्णय लिया जाना आज्ञापक प्रावधान है। राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 में जिन परिस्थितियों में पट्टा जारी करने के प्रावधान है, उन प्रावधानों की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है। इस कारण नियम 266 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता था, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 01/1971–1972 संकल्प संख्या 5 (3) दिनांक 08.08.1971 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 11.08.1971 के विरूद्ध पेश की गई है। मिसल के अनुसार दिनांक 11.04.1971 को आसूराम द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत चण्डावल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। इस पर सरपंच ग्राम पंचायत चण्डावल द्वारा दिनांक 20.06.1971 को मिसल कायम कर नियमानुसार नक्शा मौका किया जाकर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस आदेश की पालना में नक्शा मौका तैयार किया गया। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 27.06.1971 को प्रस्तुत होने पर नियम 260 के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के निर्देश जारी किये तथा म्याद गुजरने के पश्चात मिसल प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये। इस आदेश की पालना में दिनांक 28.06.1971 को नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 08.08.1971 को म्याद समाप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत होना अंकित करते हुए कब्जे के गवाहान के बयान लिया जाना अंकित करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये, जिसकी पालना में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 256 (2), 258, 259, 261 में विहित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इस कारण ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा जारी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 01/1971–1972 संकल्प संख्या 5 (3) दिनांक 08.08.1971 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 11.08.1971 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)